बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र010/ख0वि0अधि0--07/2021– 3116 खाद्य, पटना/दिनांक– 14.7.2022

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम, 2021–22 में सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि को विस्तारित करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र संख्या 2920, दिनांक 30.06.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय पत्र संख्या 4607, दिनांक 01.11.2022 द्वारा निर्गत कार्य–योजना एवं मार्ग निर्देश में सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित अवधि को विभागीय पत्र संख्या 2920, दिनांक 30.06.2022 द्वारा संशोधित करते हुए सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति की तिथि 15.07.2022 तक निर्धारित की गई थी।

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्र संख्या 5436, दिनांक 14.07.2022 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में खरीफ विपणन मौसम, 2021–22 अंतर्गत कुल अधिप्राप्त धान के विरूद्ध सी0एम0आर0 तैयार कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के संग्रहण केन्द्रों पर जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.07.2022 से बढ़ाकर दिनांक 31.07.2022 तक निर्धारित की जाती है। तद्नुरूप विभागीय पत्र संख्या 2920, दिनांक 30.06.2022 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 14/7/22

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0–07/2021– 3116 खाद्य, पटना/दिनांक– 14.7.2022

प्रतिलिपि – सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना /निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, एक्जीबिशन रोड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 14/7/22

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0--07/2021– 3116 खाद्य, पटना/दिनांक– 14.7.2022

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडली आयुक्त/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, /माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 14/7/22

विशेष कार्य पदाधिकारी।